सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवं
प्रगति विवरण 2019—20

पर्यावरण विभाग, जयपुर

1. पर्यावरण विभाग का कार्य एवं उद्देश्य –

पर्यावरण विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं –

(क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामले और निम्नलिखित मामलों के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करना।

- पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
- पर्यावरण सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
- पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।

(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

(ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना –

- पर्यावरण विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
- वर्तमान में प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
- पर्यावरण विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, उप निदेशक, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सृजित हैं। विभाग का प्रशासनिक ढांचा एवं सृजित पद अग्रानुसार हैं।

पर्यावरण विभाग का संगठनात्मक ढांचा

माननीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार

↓

प्रमुख शासन सचिव

↓

शासन सचिव

↓

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

↓

उपनिदेशक

↓

विधि शाखा | लेखा शाखा | संस्थापन शाखा | शिक्षा शाखा | कम्प्यूटर शाखा | प्रचार प्रसार

पर्यावरण निदेशालय में स्वीकृत पदो का विवरण (31.12.19 को)

क्रम. सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	0	1
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	0	1
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	1	0
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
6.	प्रोग्रामर	1	1	0
7.	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड–।।)	1	1	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
9.	अति0 प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
11.	निजी सहायक	2	1	1
12.	वरिष्ठ सहायक	2	1	1

13.	सूचना सहायक	**2**	**2***	**0**
14.	कनिष्ठ सहायक	**2**	**0**	**2**
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	**3**	**0**	**3**
योग		**21**	**11**	**10**

वर्ष 2019–20 के दौरान अधिसूचना दिनांक 04.09.2019 के द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का गठन किया गया है। निदेशाालय पर्यावरण विभाग को विभिन्न अधिनियम/नियम को लागू करने एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में सहयोग करेगा।

3. पर्यावरण विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई–

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :

राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओ से सम्बन्धित क्रियान्विति रिपोर्ट विभिन्न विभागो से समय–समय पर मंगवाई जाकर इसका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा राज्य को 'प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गये।

3.3 फसल कटाई के बाद बचे हए भूसे को जलाने पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबन्धिंत कर दिया गया है।

3.4 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन एल सी पी):–

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राज्य की 5 झीलों, यथा फतेहसागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर सरोवर एवं नक्की

झीलों में कार्य करवाया गया । इन सभी झीलो के सरक्षंण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में भारत व राज्य सरकार के द्वारा 60:40 प्रतिशत का अंश दिया जा रहा है। कार्य का सम्पादन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कराया जाता है। राज्यांश पर्यावरण विभाग के बजट मद में उपलब्ध कराया जाता है।

3.5 राज्य में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति आवेदन पत्रों के online submission तथा disposal की सुविधा को और बेहतर बनाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपने एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया गया। सम्मति के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारम्भ की गई थी। आवेदनो का निस्तारण त्वरित गति से किया जा रहा है।

3.6 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2015 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

3.7 राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा वैधता अवधि में विस्तार किया गया। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (Green Category) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड या 5 करोड से कम है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य

मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा। इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार ही जमा कराना होगा एवं हरी श्रेणी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सम्मति नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह सम्मति आवेदन दिनांक 01/12/2015 से ऑनलाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा, प्रक्रिया के सरलीकरण एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में राज्य मण्डल के मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न सम्मति/प्राधिकार एवं पंजीयन जारी करने की शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई। यथा 50 के.एल.डी. से कम उच्छिष्ट निस्त्राव करने वाली टैक्सटाइल इकाइयों के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3.8 मोबाइल 'ऐप' राज वायुः—

राज्य मण्डल द्वारा ''राज वायु'' नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाईल 'ऐप' 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाईल 'ऐप' पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यह मोबाईल 'ऐप' यूनिसेफ, राजस्थान, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

3.10 आवा—कजावा तकनीक पर आधारित परम्परागत भट्टों हेतु मार्ग—दर्शिकाः—

राज्य मण्डल द्वारा कुम्हारों द्वारा परम्परागत तकनीक पर आधारित आवा—कजावा पद्धति के माध्यम से छोटे पैमाने पर मिट्टी के बर्तन, केलु व ईंटों के निर्माण हेतु दिनांक 12.07.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई।

3.11 सी.ई.टी.पी. हेतु मार्गदर्शिकाः—

राज्य में स्थापित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई। इस

मार्गदर्शिका द्वारा पूर्व में स्थापित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों, इन्हें संचालित करने वाली ऐजेन्सी/ट्रस्ट तथा सदस्य इकाइयों हेतु पृथक–पृथक दिशा–निर्देश अधिसूचित किये गये हैं।

3.12 सम्मति वैधता अवधि में बढोतरीः–

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर सम्मति वैधता अवधि में विस्तार करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया है उक्त श्रणियों में पूर्व में सम्मति की वैद्यता क्रमशः 3, 5 एवं 10 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त कम प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी सम्मति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया हैं।

4. वर्ष 2019–20 की उपलब्धियां

प्रचार–प्रसार हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यः–

(अ) पर्यावरण विभाग को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित है :–

<u>आयोजना मद</u>

3435– पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
03– पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्ध भवन
102– पर्यावरणीय योजना और समन्वय
01– पर्यावरण सुधार
11– विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार राशि रु. 28.30 लाख

....

कुल राशि रु. 28.30 लाख

....

दिसम्बर, 2019 तक व्यय राशि रु. 27.59 लाख

....

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों यथा पृथ्वी दिवसः 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवसः 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवसः 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश प्रकाशित कराये गये।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2018 के अवसर पर विभाग द्वारा SMS Stadium जयपुर में ''रन फॉर एनवायरमेंट'' रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर माननीय वन, पर्यावरण, खेल एवं युवा मामलात मंत्री महोदय द्वारा की गई।

मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उडाने हेतु चाइनीज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में दो दिवस तक लगातार संदेश दिया गया है।

5. पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों के माध्यम से आयोजित कराए गए हैं :

पृथ्वी दिवस	**22 अप्रैल, 2018**
विश्व पर्यावरण दिवस	**5 जून, 2018**
ओजोन परत संरक्षण दिवस	**16 सितम्बर, 2018**

उक्त दिवसों के आयोजन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन हेतु 50–50 हजार रूपये की राशि जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया।

6. राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :

राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को **''राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार''** प्रदान किया जाने का प्रावधान है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु, राशि रुपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को–पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रुपये 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है को प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

7. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई है। जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है।

जिला पर्यावरण समितियों के द्वारा जिले की पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श कर निदान किया जाता है, समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में पर्यावरण संबंधी अधिनियमों/नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2016 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के लिए किया गया है।

9. राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड :

राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड का गठन जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4 (8)1/2005/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव–विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों की नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुस्तक, पोस्टर्स, स्टिकर्स एवं पोस्टकार्ड इत्यादि सहायक प्रचार सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 22.05.2018 को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में समारोहपूर्वक मनाया गया।

दिसम्बर, 2017 तक जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रंबध समितियों का गठन किया जा चुका है।

10. भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयनः

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना विभिन्न विभागों, संस्थाओं, मंडलों के माध्यम से करवाई जाती है। पर्यावरण विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नांकित अधिनियमों एवं नियमों की पालना संबंधी कार्यवाही करवाई जाती है।

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं नियम, 1986
2. जल (प्रदूषण का निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं नियम, 1975
3. वायु (प्रदूषण का निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं नियम, 1983
4. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिनियम, 2006
5. अरावली अधिसूचना, 1992, यथा संशोधित
6. फ्लाई ऐश अधिसूचना, 1999, यथा संशोधित
7. वैटलेंड अधिसूचना, 2017
8. जैव विविधता अधिनियम, 2002 एंव राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010
9. प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
10. ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
11. जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
12. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016
14. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिशंसा हेतु प्रस्तुत किये जाते है।

11. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority) राजस्थान का गठन किया गया। उक्त प्राधिकरण/समिति का कार्यकाल दिनांक 29.12.2017 को पूर्ण होने पर नवीन प्राधिकरण एवं समिति का पुर्नगठन दिनांक 12.09.2018 को किया जा चुका है। अर्थात दिनांक 29.12.2017 से 12.09.2018 तक प्राधिकरण/समिति के अस्तित्व में नही होने के कारण राज्य स्तर के पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों का निष्पादन नियमानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 से लघु खनिजों के खनन के लिये प्रवर्ग ''ख–2'' परियोजनाओं में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिये देश के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। जिला स्तरीय प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिले के जिला कलेक्टर हैं। उक्त प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिये उक्त अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (District Level Expert Appraisal Committee)(DEAC) देश के सभी जिलो के लिये गठित की गयी है।

राज्य में बड़ी संख्या में खनन लीज को देखते हुए जिला स्तरीय प्राधिकरणों एवं समितियों में मनोनीत सदस्यों का नामांकन वर्ष 2016 में करवाया जाकर संभाग स्तर

पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जिला प्राधिकरणों एवं समितियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरणों का निष्पादन वर्ष 2016 से ही प्रारम्भ करवाया गया।

राज्य सरकार के स्तर पर सभी स्तर से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2016 जारी कर जिला स्तर पर गठित प्राधिकरणों एवं समितियों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का मार्ग ओर प्रशस्त किया गया जिससे पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर खनिज लीजों के लिए 25,400 से अधिक पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

नवगठित समिति द्वारा 10 प्रकरणों में ToR जारी की गई है। प्राधिकरण द्वारा 2 प्रकरणों में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति गलत सूचना के आधार पर प्राप्त करने के कारण प्राप्त शिकायत के क्रम रद्द की गई है।

12. पर्यावरण विभाग की वेबसाईट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयरः

- सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर चालू किया जा चुका है।
- पर्यावरण विभाग का नया पोर्टल माह दिसम्बर 2015 से चालू हो गया है। जिसमें पर्यावरण विभाग, जैव विविधता बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट एक पोर्टल में उपलब्ध है।

13. अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के अन्तिम निकास एवं चिमनी उत्सर्जन पर ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्थाः—

राज्य में चिन्हित अत्याधिक प्रदूषक उद्योगों के उपचारित वेस्ट वाटर एवं चिमनी से उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा की निगरानी हेतु ऑन लाईन मोनिटरिंग सिस्टम लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 169 उद्योगों द्वारा ऑन लाईन मोनिटरिंग की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है।

14. क्लोथ वेण्डिंग मशीनः—

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा देश में पहली बार क्लोथ वेण्डिंग मशीन को विकसित किया गया है, इस मशीन में 5 रूपये का सिक्का डालने पर कपड़े के दो बैग प्राप्त हो जायेंगे। राज्य मण्डल के सहयोग से जयपुर, अजमेर एवं कोटा में

ऐसी एक–एक मशीन परीक्षण के तौर पर स्थापित की जा रही है। इस पहल से पोलीथीन की थैलियों का विकल्प सुलभ होने से पोलीथीन की थैलियों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

15. आठ नये सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों की स्थापनाः–

राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। तत्पश्चात गत वर्ष राज्य के 7 शहरों में (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाडी, कोटा, पाली तथा उदयपुर में एक–एक स्थान पर)नये केन्द्रो की स्थापना की गई। इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता की जांच हेतु सल्फर डाई ऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), विविक्त पदार्थ– PM_{10} एवं $PM_{2.5}$, ओजोन (O_3), कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH_3) एवं बेन्जीन (C_6H_6), के अतिरिक्त वायु मण्डल में वायु मण्डलीय दबाव, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु गति, तापमान, सोलर रेडिएशन, वायु की दिशा, उर्ध्व वायु गति इत्यादि की सतत् जांच की जाती है एवं परिणामों को प्रबोधन केन्द्रों पर स्थापित सूचना पट्टिका पर सतत् प्रदर्शन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीयकृत सूचना पट्टिका जयपुर में रामबाग सर्किल पर भी स्थापित की गई है। इस पट्टिका पर उपरोक्त सभी स्थानों के वायु गुणवत्ता के परिणाम प्रदर्शित किये जाते है। इसके अतिरिक्त उक्त परिणामों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी सतत् प्रेषित किया जाता है तथा एयर क्वालिटी इण्डेक्स जारी की जाती है।

16. **पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना** दिनांक 21.08.2017 अनुसार थर्मल पावर प्लांटस के ऐश पोंडस में उपलब्ध उपयोग में नहीं लाई गई फ्लाई–ऐश को ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण के लिए फ्लाई–ऐश की आवश्यकता होने पर फ्लाई–ऐश कोई शुल्क वसूले बगैर एवं बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराने की व्यवस्था कायम करने के निर्देश जारी किए गए।

17. **पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2017** को वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के तहत अधिसूचनाएं जारी कर उद्योगों की स्थापना एवं उनको चलाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दी जाने वाली Consent to Establish एवं Consent to Operate के लिए देय फीस का पुनर्निर्धारण किया गया।

18. बजट वर्ष 2019-2020 :

पर्यावरण विभाग का वर्ष 2019–20 के लिए राज्य निधि (Other Than Scheme) मद में राशि रू 180.22 लाख तथा Scheme मद में राशि रू 286.41 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार हैः–

वास्तविक व्यय
आयोजना व्यय (रूपये लाखों में)
(2015–16 से 2019–20 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (माह दिसम्बर 2019 तक)
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	39.98	33.81	35.50	31.04	38.70
2	पर्यावरण शिक्षा एवं सुधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	29.99	24.94	27.59	32.57	27.59
4	सी.ई.टी.पी. को अनुदान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना***	1958.75	2473.65	0.00	437.00	0.00
7	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	194.50	109.67	30.00	169.00	57.00
8	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	7.88	10.96	0.00	0.00	0.00
9	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	5.99	14.98	6.88	4.97	15.13
10	बायो मेडिकल–वेस्ट प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओ पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**2237.09**	**2668.01**	**99.97**	**674.58**	**138.42**

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखो में)
(2015–16 से 2019–20 तक)

क्रं. सं.	मदवार विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (माह दिसम्बर 2019 तक)
1	प्रशासनिक व्यय	102.61	125.09	136.33	151.53	81.53
योग		**102.61**	**125.09**	**136.33**	**151.53**	**81.53**